न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 587/2018

1. रेशम सिह उर्फ दलोर सिह पुत्र जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 9 एफए माझीवाला।

--वादी-

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादी--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 26/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 9 एफए माझीवाला की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 89/78 के मु0 नं0 31 के 3.606 हैक्टर नहरी मय खाला मे से 1.582 हैक्टर नहरी भूमि वादी व उसके भाई नगोर सिह के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह रकबा वादी को जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 329 से दर्ज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास आदि मे वास्तविक नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह है। इस संबंध मे ग्राम पंचायत 9 एफए माझीवाला व ग्राम पंचायत 3 सीएडी मसानी वाला द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जमाबंदी मे आवेदक का नाम नगौर सिह पुत्र जरनैल सिह है। जबकि सभी दस्तावेजो मे नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह है। संबंधित विभाग ने अपने दो नाम होने के संबंध मे अपनी पहचान बावत शपथ पत्र पेश करना पडता है। इस कारण वादी जमाबंदी मे अपना नाम संशोधित करना चाहता है। दिनांक 28.06.2018 के राजस्व कैम्प मे एक लिखित प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीकरणपुर को पेश किया तो तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस रकबा के संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई जाकर जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम दलोर सिह पुत्र जरनैल सिह के स्थान पर रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 9 एफए के नामान्तरण संख्या 59 की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत 9 एफए माझीवाला के द्वारा जारी दिनांक 15.09.2016 का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत 1 एमएसडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2018 की प्रमाणित प्रति। परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,मूलनिवास प्रमाण पत्र के दस्तावेज पेश किये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 9 एफए के खाता संख्या 89 मे नगोर सिह, दलोर सिह पिसरान जरनैल सिह के नाम 1.582 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह भूमि प्रार्थी को अपनी दादी से वसीयत मे आई है। प्रार्थी के नाम चक 3 एलसीबी के खाता संख्या 86 मे रेशम सिह वल्द जरनैल सिह के नाम दर्ज 0.790 हैक्टर रकबा है यह भूमि जरिये बैयनामा आई बताई है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला 3 एलसीए के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2018 के अनुसार दलोर सिह पुत्र जरनैल सिह नाम अंकित है। ग्राम पंचायत 1 एमएसडी द्वारा दिनांक 30.06.2018 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार दलोर सिह व रेशम सिह एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये है। राजस्थान भू.अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत वह त्रुटिया आती है जो राजस्व अभिलेख मे लिपिकिये भूल से कोई त्रुटि हुई है। उक्त राजस्व अभिलेख मे यह लिपिकिये भूल से कोई त्रुटि नही हुई है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी चक 9 एफए की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 89/78 मे दर्ज नाम दलौर सिह पुत्र जरनैल सिह के स्थान पर रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 59 के अनुसार प्रार्थी को यह भूमि वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त हुई है। चक 3 एलसीबी की भूमि प्रार्थी को जरिये बैयनामा आनी बताई है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला 3 एलसीए के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थी के द्वारा दलौर सिह पुत्र जरनैल सिह के नाम से विद्यालय मे कक्षा 5 तक पढाई की है। प्रार्थी जिस जमाबंदी मे अपना नाम सही करवाना चाहता है वह नाम लिपिकिये त्रुटि से गलत दर्ज नही हुआ है बल्कि वसीयतनामा के आदेश से दर्ज हुआ है। राजस्थान राजस्व भू. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकिये त्रुटि से हुई भूल ही संशोधित की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस धारा की परिभाषा मे नही आता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/3/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner